समाज कल्याण विभाग
नागरिक घोषणा पत्र

प्रस्तावनाः

उत्तराखण्ड सरकार समाज के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े एवं निर्बल वर्गों यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, निराश्रित वृद्ध एवं विधवाओं तथा निःशक्तजनों के समग्र उत्थान हेतु कृत संकल्प है। इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य में समाज कल्याण विभाग का गठन राज्य की स्थापना के साथ ही 09 नवम्बर 2000 को हुआ है। इससे पूर्व के दोनों मण्डलों का कार्य पूर्ववर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित किया जाता था।

उत्तराखण्ड राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर कुल जनंसख्या 10086292 है, जिसमें अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1892516 है जो कि कुल जनसंख्या का 18.76 प्रतिशत है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 191903 है जो कुल जनसंख्या का लगभग 3 प्रतिशत है।

1. हमारी दृष्टिः

प्रदेश के अनुसूचित जातियों/जनजातियों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों, निःशक्तजनों एवं कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को उच्च प्राथमिकता दिये जाने हेतु विभिन्न विकास योजनाओं के द्वारा इन वर्गों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनका सर्वांगीण विकास का प्रयास है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से वृद्धजनों, निःशक्तजनों, निराश्रित विधवाओं को भरण–पोषण हेतु सहायता के रूप में पेशंन प्रदान कर उनको सहारा दिये जाने का भी प्रयास है। पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों हेतु कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप देना, उन्हें पुनर्वास व कल्याण हेतु अनुमन्य लोगों की जानकारी देते हुए उनमें जागरूकता पैदा करना है।

2. हमारा मिशनः

प्रदेश के पिछड़े व उपेक्षित असहाय व दुर्बल लोगों के जीवन स्तर को इस योग्य बनाना है कि उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर विकसित वर्गों के समान लाया जा सके तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता देते हुये इनको शैक्षिक सुविधा प्रदान करते हुये उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग के बराबरी के स्तर पर लाना है। असहाय, वृद्ध, विधवा महिलाओं तथा निःशक्तजनों को पेंशन प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

3. हमारा उद्देश्यः

1. शैक्षिक उन्नयन
2. सामाजिक सुरक्षा
3. सर्वधर्म समभाव
4. मुख्य धारा से वंचित प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना।
5. प्रत्येक निर्बल परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
6. नई योजनाओं के प्रस्ताव को यथा समय सरकार को प्रेषित करना।
7. योजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण।

विभागीय गतिविधियों के सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकताऐं एवं कार्य निस्तारण की अवधिः—
(लक्ष्य निर्धारण की सारणी)

क. स.	कार्य का विवरण	सेवायें उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित समय		
		जिला स्तर	निदेशालय स्तर	शासन स्तर से बजट अवमुक्ति
1.	अनुसूचित जाति,, पिछड़ी जाति एवं विकलांग छात्रवृत्ति का वितरण।	45 दिन	30 दिन	बजट अवमुक्ति बजट पारित होने के 02 माह के अन्तर्गत
2.	निराश्रित विधवा वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन का वितरण।	60 दिन	30 दिन	बजट अवमुक्ति बजट पारित होने के 02 माह के अन्तर्गत

जन शिकायतों का निस्तारण।

1. शिकायतों की प्राप्ति की स्वीकारोक्ति 15 दिन

2. शिकायतो की प्राप्ति का स्थानः—

(1) शासन स्तर— प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण का सचिवालय स्थित कार्यालय।

(2) निदेशालय स्तर—निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

(3) जनपद स्तर—संबन्धित जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालयों में।

(4) विकास खण्ड स्तर—विकास खण्ड मुख्यालयों में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी।

3. प्रत्येक कार्यालय में एक शिकायत पंजिका तथा एक शिकायत से संबंधित पृथक पत्रावली अनुरक्षित की जायेगी।

4. पंजीकृत शिकायतों पर संबंधित स्तरों से तत्काल कार्यवाही की जायेगी तथा कृत कार्यवाही का अभिलेख रखा जायेगा।

5. जांच की आवश्यकता वाली शिकायतों पर 45 दिन के अंतर्गत जांच पूर्ण कर निस्तारण करने की कार्यवाही के अभिलेख रखे जायेंगे।

6. शिकायत के निस्तारण में 30 दिन से अधिक का समय लगने पर शिकायतकर्ता को शिकायत के निस्तारण में की गयी कार्यवाही की स्थिति से अवगत कराया जायेगा।

7. शासन स्तर से विकास खण्ड तक शिकायतों के निस्तारण की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

शैक्षिक उन्नयनः

विभाग द्वारा शिक्षा उन्नयन के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, दिव्यांग वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने, आवासीय विद्यालयों की स्थापना, उच्चशिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं को शहरों में आवास व्यवस्था हेतु छात्रावास की स्थापना, रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा दिये जाने हेतु आई.टी.आई. की स्थापना कर शैक्षिक उन्नयन का कार्य विभाग द्वारा संपादित किया जा रहा है।

छात्रवृत्ति योजनाः

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, दिव्यांग वर्ग के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम/दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना है।

दिव्यांग छात्रवृत्तिः

इस योजनान्तर्गत कक्षा 01 से 08 तक कक्षाओं में अध्ययनरत रु. 24,000/– वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। छात्रवृत्ति की प्रतिमाह दर कक्षा 01 से 05 में रु. 50/–, कक्षा 06 से 08 में रु. 80/– प्रतिमाह है तथा कक्षा 09 से 10 में रु. 170/–प्रतिमाह है। दशमोत्त्तर कक्षाओं में डेस्कोलरशिप हेतु इण्टरमीडिएट के छात्र को रु. 85/–, स्नातक पाठ्यक्रम में रु. 125/– तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में रु. 170/–प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति की दर निम्नवत् है।

क्र. स.	अध्ययन पाठ्यक्रम	छात्रवृत्ति प्रतिमाह दर		आय सीमा
		हॉस्टलर	डेस्कॉलर	
1.	ग्रुप ए. डिग्री/पी.जी. कोर्स टेक्नीकल प्रोफेशनल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एम. बी.ए.ए,	रु. 1200/–	रु. 550/–	2,50,000/– लाख वार्षिक है।
2.	ग्रुप बी– प्रोफेशनल/नॉनप्रोफेशनल/डिग्री /पीजी. कोर्स जो डिग्री के समकक्ष हो।	रु. 820/–	रु. 530/–	
3.	ग्रुप सी– समस्त ग्रेजएट डिग्री कोर्स जो ग्रुप ए. व बी. को छोड़कर	रु. 570/–	रु. 300/–	
4.	ग्रुप डी– समस्त दशमोत्तर स्तर के नॉन डिग्री कोर्स (आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक इत्यादि)	रु. 380/–	रु. 230/–	

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयः

विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु 01 हाईस्कूल, 01 जूनियर तथा 04 प्राईमारी आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, दवा आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त स्व. श्री सुरेन्द्र राकेश राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनुपर कक्षा 01 से 12 तक अंग्रेजी पैटर्न का संचालित है। जिसमें वर्तमान में कक्षा 06 से 10 तक की कक्षाएं संचालित है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु विभागीय तीन आई.टी.आई. संचालित है।

1. मालधनचौड़ जनपद नैनीताल।
2. पाइन्स जनपद नैनीताल।
3. बागेश्वर।

सिविल/राज्य सिविल सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजनाः

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के फलस्वरूप यहां के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को सिविल/राज्य सिविल सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना की आवश्यकता अनुभव की गयी है।

सामाजिक सुरक्षाः

विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग भरण–पोषण अनुदान (पेंशन) के अन्तर्गत जिसका विवरण निम्नवत् है:–

वृद्धावस्था पेंशनः–

इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के बी.पी.एल. या रु. 4000/– तक मासिक आय वाले परिवारों के वृद्धजनों को रु. 1000/– की दर से वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों का चयन/स्वीकृति ग्राम पंचायत की खुली बैठक तथा नगरीय क्षेत्रों में चयन एवं स्वीकृति का अधिकार उपजिलाधिकारी को है। आवेदक का कोई पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो, और यदि है तो आर्थिक विपन्नता में है और अपनी माता–पिता की सहायता करने में असमर्थ है, तो वह पात्रता में आयेगा।

चयन प्रक्रियाः

लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।

लाभार्थी बी.पी.एल. अथवा उसकी मासिक आय रु. 4000/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पेंशन स्वीकृत का अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में वरीयताक्रम में लाभार्थी चयन के उपरान्त ग्राम पंचायत को है तथा शहरी क्षेत्र मे उपधिलाधिकारी को है। पेंशन का वितरण बैक खातों माध्यम से किया जाता है।

दिव्यांग पेंशनः–

इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले सभी वर्गों के बी.पी.एल. श्रेणी या रु. 4000/– मासिक आय वाले परिवारों के दिव्यांगजनों को रु. 1000.00 प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है।

चयन प्रक्रियाः

निराश्रित दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान (पेंशन):

1. लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।
3. ग्राम पंचायत की खुली बैठक प्रस्ताव।
4. बी.पी.एल. या आय रु. 4000.00 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विधवा पेंशन :–

इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष अधिक की आयु के सभी वर्गों की निराश्रित बी.पी.एल. या रु. 4000/– मासिक आय वाले विधवाओं को रु. 1000/– प्रतिमाह की दर से विधवा पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक तथा नगरीय क्षेत्रों में चयन एवं स्वीकृति का अधिकार उपजिलाधिकारी को है।

चयन प्रकिया:

निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान (पेंशन):

1. लाभार्थी की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत।
3. ग्राम पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव।
4. पुत्र/पौत्र की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. बी.पी.एल. या आय रु. 4000.00 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

किसान पेंशन–

60 वर्ष से ऊपर के स्वंय की खेती करने वाले किसान जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि में कृषि कार्य करते हैं, तथा उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधि सम्मत कृषि पट्टा है एंव स्वंय कृषि कार्य कर रहे हैं, को रू0 1000 प्रतिमाह की दर से किसान पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई बन्धन नहीं है।

तीलू रौतेली पेंशन:–

इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के कृषि कार्य करने में 20 से 40 प्रतिशत विकलांगता होने के कारण रु. 1000/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्राविधान नहीं है।

परित्यक्त विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु पेंशन योजना:–

उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाएं जो बी.पी.एल. हो अथवा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 15,976/– तथा शहरी क्षेत्र में रु. 21,206/– से अधिक न हो, में पात्र परित्यक्ता विवाहित महिला, निराश्रित अविवाहित महिलाओं को रु. 1000/– प्रतिमाह की दर से तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी को रु. 1,400/–प्रतिमाह की दर से भरण–पोषण अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

बौना समाज को पेंशन–

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में 21 वर्ष से अधिक आयु एवं 4 फुट से कम ऊॅचाई के व्यक्तियों को रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत पात्रता हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:

भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के मुख्य कमाऊ जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष तक हो, की मृत्यु होने पर, शोक संतृप्त परिवार को रू0 20000/– एक मुश्त अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

दिव्यांगों से विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान :

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग से विवाह करने पर रू0 25000/– तथा लड़की के दिव्यांग होने अथवा दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में प्रोत्साहन स्वरूप रू0 25000/–की धनराशि अनुदान

के रूप दिये जाने का प्राविधान है। आवेदनकर्ता आयकरदाता तथा आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिये।

दिव्यांगों को कृत्रिम अंग/श्रवण यंत्र –

इस योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता एवं बी0पी0एल0 श्रेणी तथा रू0 4000 आय वाले परिवारों के दिव्यांगों को कृत्रिम अंग यथा–कान की मशीन, बैशाखी, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत रू0 3500/– की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

दिव्यांगों हेतु प्रशिक्षण, पुरस्कार एवं निःशुल्क यात्रा सुविधाः

उत्तराखण्ड राज्य में विकलांगों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु तीन विभागीय कर्मशालायें क्रमशः हल्द्वानी, पिथौरागढ़ एवं चमियाला (टिहरी गढ़वाल) में संचालित की है। दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट विकलांग कर्मचारी व उनके उत्कृष्ट सेवायोजकों एवं प्लेसमेंट अधिकारियों को पुरस्कृत किये जाने की योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत रु. 5000/–रुपये के नकद पुरस्कार के अतिरिक्त पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर आयुक्त विकलांगजन कार्यालय से निर्गत विकलांग परिचय पत्र के आधार पर दिव्यांगों/सहवर्ती को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापनाः

विकलांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तराखण्ड राज्य में दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय देहरादून में स्थापित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का प्रदेश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदानः

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. श्रेणी अथवा रु. 15000/– वार्षिक आय वाले परिवारों को उनकी पुत्री की शादी हेतु रु. 50,000/–का अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। एक परिवार की अधिकतम् दो पुत्रियों की शादी हेतु यह लाभ दिया जा सकता है।

विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदानः

इस योजनान्तर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्गों की विधावाओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु रु. 50,000/–की धनराशि अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। एक परिवार की अधिकतम् दो पुत्रियों की शादी हेतु यह लाभ दिया जा सकता है।

परित्यक्ता विवाहित महिला एवं मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी की पुत्री की शादी हेतु अनुदानः–

इस योजनान्तर्गत महिला कल्याण विभाग से परित्यक्ता विवाहित महिला एवं मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी, जो विभाग से पेंशन प्राप्त कर रही हो, को उनकी पुत्री की शादी हेतु रु. 50,000/–की धनराशि के अनुदान का प्राविधान है। एक परिवार की अधिकतम् दो पुत्रियों की शादी हेतु यह लाभ दिया जा सकता है।

अनुसूचित जाति हेतु अटल आवास योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. श्रेणी तथा रु. 32,000/– वार्षिक आय वाले आवासहीन परिवारों को जिनके पास अपनी भूमि उपलब्ध है तथा उन्हें अन्य किसी आवासीय योजनान्तर्गत पूर्व में लाभान्वित नहीं किया गया है, उन्हें आवास निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में रु. 38,500/–तथा मैदानी क्षेत्रों में रु. 35,000/–की आर्थिक सहायता दो किश्तों में दिये जाने का प्राविधान है।

औद्योगिक आस्थानः

प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का शहरी क्षत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा हल्द्वानी, नैनीताल में औद्योगिक आस्थान संचालित है। जिसमें 25 दुकानें, 15 शेड तथा 19 प्लाट है, जो अनुसूचित जाति के उद्यमियों को अपने उद्योग संचालित करने के लिए कम किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं। जिसमें दुकान का किराया रु. 1000/– प्रतिमाह शेड रु. 25/–प्रतिमाह एवं भूखण्ड रु. 10/– प्रतिमाह लीज डीड एवं शर्तों के अधीन दिये जाने का प्राविधान है।

अन्तर्जातीय/अन्तर्धामिक विवाह हेतु प्रोत्साहन योजनाः

इस योजना के अन्तर्गत अन्तर्जातीय/अर्न्तधार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ऐसे युवक/युवतियां, जो अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करते हैं, को रु. 50,000/– पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र तथा मेडल दिये जाने का प्रावधान है।

अशक्त एवं वृद्ध गृहों का संचालनः

वृद्ध एवं अशक्त पुरुषों के लिए 50 संवासी की क्षमता के दो आवासीय गृह जनपद चमोली तथा बागेश्वर में संचालित है इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा तथा दैनिक जीवन के निर्वहन हेतु वर्तमान में आहरण सारणी के अनुसार प्रति दिन भरण–पोषण भत्ता स्वीकृत कर वृद्धजनों के लिए आवासीय व्यवस्था सुलभ करायी गयी है।

राजकीय भिक्षुक गृह का संचालनः

भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में भिक्षावृत्ति अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप जनपद हरिद्वार में एक भिक्षुक गृह संचालित है। इसमें प्रवेश की क्षमता 200 है।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सुविधायें:

ऐसे स्वैच्छिक संस्थायें जिनके द्वारा दिव्यागजनों एवं वृद्धजनों के संबंध में कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं, उन्हें राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अनुदान किया जाता है। इन योजनाओं हेतु स्वैच्छिक संगठनों का ऑनलाईन प्रस्ताव जनपदों से प्राप्त कर शासन को प्रेषित किये जाते है। शासन द्वारा जिन्हें भारत सरकार को प्रेषित किये जाते है।

अनाथ एवं अंकिचनों का दाह दफन संस्कार हेतु अनुदानः

इस योजनान्तर्गत अनाथ एवं अंकिचन मृतकों के दाह संस्कार एवं दफन हेतु प्रति शव रु. 3500/– की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

हमारी सेवायें:

1. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग वर्ग के छात्र/छात्राओं को छावृत्ति प्रदान करना।
2. वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग भरण–पोषण अनुदान।
3. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत अनुदान।
4. अंकिचन दाह दफन संस्कार हेतु धनराशि।
5. अनुसूचित जाति पुत्री की शादी हेतु अनुदान।
6. निराश्रित विधवा महिलाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान।
7. अर्न्तजातीय/अन्तर्धार्मिक अनुदान।
8. विकलांग युवक/युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन अनुदान।
9. दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों तथा प्लेसमेंट अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार।
10. विकलांगजनों के पुनर्वाह हेतु दुकान निर्माण हेतु ऋण सुविधा।
11. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीड़न अनुदान।
12. महिला परित्यक्ता की पुत्री की शादी हेतु अनुदान।
13. बौना पेंशन।
14. किसान पेंशन।
15. महिला परित्यक्ता पेंशन।
16. तीलू रौतेली पेंशन।
17. मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी को पेंशन।
18. विकलांगों को पहचान–पत्र जारी करना।
19. वरिष्ठ नागरिकों को पहचान–पत्र जारी करना।
20. अटल आवास योजना।

अनुसूचित जाति:

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु एवं समस्त सार्वजनिक सेवाओं का पर्याप्त लाभ अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समान रूप से पहुंचाये जाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति (ग्राम/बस्ती/रिहाईश) ग्राम पंचायत की जनसंख्या कुल जनसंख्या की चालीस प्रतिशत से कम न हो, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम/अनुसूचित जाति बस्ती/तोक/मजरा/वार्ड ''बाहुल्य क्षेत्रों में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत'' अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना असुविधाओं का विकास योजना संचालित है।

नागरिकों के अधिकार:

1. सूचना प्राप्ति के अधिकार के लिए राज्य व जनपद स्तर पर लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये है, जबकि विकास खण्ड व संस्थाओं के स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। जिससे पारदर्शिता रहे तथा योजनाओं की जानकारी भी आम जनमानस को हो।

2. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था प्रणाली के अन्तर्गत चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तथा सहयोग से योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है।

3. विभाग की सेवाओं का लाभ आवेदक को बिना किसी अवरोध के मिल सके इसके लिए योजनाओं के प्रारूप/प्रमाण पत्र सरलीकृत किये गये हैं।

4. विभाग का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को सेवायें देना है तथा विभाग इसके लिए प्रतिबद्ध है।

5. लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ यथा संभव मनीआर्डर, चैक ड्राफ्ट द्वारा लाभार्थी को उसके घर पर पहुंचाने के लिए विभाग कृत संकल्प है।

जनता से अपेक्षाः

उचित लाभार्थी चयन, लाभ पहुंचाने एवं योजनाओं की जानकारी बढ़ाने में निरन्तर सहयोग की अपेक्षा, वृद्धजनों, विधवाओं, निःशक्तजनों को सभी स्तर पर सहयोग व सहायता करने की अपील।

बचनबद्धताः

सरकार कल्याणकारी कार्यों को निरन्तर जारी रखने के प्रति वचनबद्ध है तथा लक्षित वर्गों को उनके अधिकार तथा लाभ दिया जाना सरकार की वचनबद्धता है। संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता रखने हतु निर्धारित संशोधित प्रकिया में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण, विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, की ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट तथा डिग्री कॉलेजों हेतु कॉलेजों के प्रधानाचार्य व अनुसूचित जाति/जनजाति की वरिष्ठ अध्यापिकाओं की एक समिति प्रत्येक विद्यालयों में इस कार्य को करने हेतु गठित है।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी में कार्यरत अधिकारियों की सूची

1. श्री विनोद गोस्वामी, पी.सी.एस., निदेशक।
2. श्रीमती रुचिता तिवारी, मुख्य वित्त नियंत्रक।
3. श्रीमती वन्दना सिंह, संयुक्त निदेशक।
4. श्री गीता राम नौटियाल, संयुक्त निदेशक।
5. श्री जगमोहन सिंह कफोला, उप निदेशक।
5. श्री नन्द किशोर शर्मा, सहायक निदेशक।
6. श्री कान्ति राम जोशी, सहायक निदेशक।

जनपद स्तर पर के पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर एवं ई–मेल का विवरण।

जनपद–नैनीताल

क.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, भीमताल (नैनीताल)	05942–248431	Dswo.ntl@gmail.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, भीमताल (नैनीताल)	05942–248311	Cdonainital111@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, नैनीताल	05942–235684, 235265	dmnainitaluk@gmail.com

जनपद–देहरादून

क.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, 26 ई0सी0 रोड, देहरादून	9412907555	dehradunswd2014@gmail.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, देहरादून	0135–2712569	Cdodoon@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, देहरादून	0135–2622689	dehradundm@gmail.com

जनपद–रूद्रप्रयाग

क.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, खुरूण (रूद्रप्रयाग)	01364–233528	dsworpg01@gmail.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, खुरूण (रूद्रप्रयाग)	01364–233189	Cdorpg1@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, रूद्रप्रयाग	01364–233300	dmrudraparyag@gmail.com

जनपद–बागेश्वर

क.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, बागेश्वर	05963–221324	dswobageshwar2014@gmail.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, बागेश्वर	05963–220858	Cdobageshwar@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, बागेश्वर	05963–220763	Dm-bag-ua@nic.in

जनपद–चमोली

क.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, हरिओम कालोनी, सिनेमा मार्ग, गोपेश्वर (चमोली)	01372–252521	Chamolisocialwelfare1@gmail.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, गोपेश्वर (चमोली)	01372–253419, 252103	Cdochamoli@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, चमोली (गोपेश्वर)	01372–252101, 252102	Oc.co.chamoli@gmail.com

जनपद–उत्तरकाशी

क.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, लदाड़ी, (उत्तरकाशी)	01374–223731	dswouki28@gmail.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, लदाड़ (उत्तरकाशी)	01374–222724	cdo.uttarkashi@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, (उत्तरकाशी)	01374–222280	dm-utt-ua@gmail.com

जनपद–हरिद्वार

क्र.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, रोशनाबाद, (हरिद्वार)	01334–239743	dswohdr@gmail.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, रोशनाबाद, (हरिद्वार)	01334–239097	cdoharidwar@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, (उत्तरकाशी)	01334–221011	dm-har-ua@nic.in

जनपद–अल्मोड़ा

क्र.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, (अल्मोड़ा)	05962–235564	socialwelfarealmora@gmail.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, (अल्मोड़ा)	05962–230027	cdo.alm@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, (अल्मोड़ा)	05962–230170	dmalmora@nic.com

जनपद–ऊधमसिंहनगर

क्र.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)	05944–250263	usnagardswo@gmail.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)	05944–250450	cdo-usn-uk@nic.in
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)	05944–242344	dm-usn-ua@nic.in

जनपद–पिथौरागढ़

क.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, पिथौरागढ़	05964–227475	vikasbhawanpithoragarh.dswo@gmail.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, पिथौरागढ़	05964–225336	cdoddopithoragarh@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, पिथौरागढ़	05964–225301	dm_pit_ua@nic.in

जनपद–पौड़ी गढ़वाल

क.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, पौड़ी गढ़वाल	01368–222375	dswo.pauri08@gmail.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, पौड़ी गढ़वाल	01368–222970	cdopauri@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल	01368–222250	dmgarhwal@gmail.com

जनपद–चम्पावत

क.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, चम्पातव	05965–230307	dswo.champawat@gmail.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, चम्पावत	05965–230550	cdo.champawat@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, चम्पावत	05965–230285	dm-chp-ua@nic.in

जनपद–टिहरी गढ़वाल

क.स.	अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय का पता		दूरभाष नम्बर	ई–मेल का विवरण
1	पदाभिहित अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, टिहरी गढ़वाल	7579218617	Dswotehrigarhigarhwal@yahoo.com
2	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, टिहरी गढ़वाल	01376–232080 01376–232603	cdotehri@gmail.com
3	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल	01376–232092	dmtehri@gmail.com

शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी नोडल अधिकारी का नामः–
श्री जगमोहन सिंह कफोला,
उप निदेशक,
निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)
मोबाईल नम्बर–9412117099
ई–मेल– **directorsocialwelfare@gmail.com**